न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/3)

1. मोहर सिह पुत्र देवी लाल जाति जाट साकिन गोरखाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाष पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन गोरखाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मांगीलाल पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन गोरखाणा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम सरपंच गोरखाणा तहसील नोहर।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 05.01.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिलाधीश नोहर के निर्णय दिनांक 8–9–77 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 8–9–77 में अंकित किया कि उक्त भूमि जोहड़ पायतन की मुताबिक मौका है तथा कोई पार्टी काबिज वाद दायर करने की तिथी को नही थी तथा आज तक काबिज नही होने पाई है इस प्रकार कुल रकबा 5701) 2 बीघा जोहड़ पायतन घोषित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस कर कथन किया कि ग्राम गोरखाणा के खसरा नं. 298 व 435 में हर रिकॉर्ड मे मौके पर आबादी भूमि दर्ज है तथा ग्राम वासियो के पट्टे भी बने हुए है तथा परिवार सहित सैकड़ो वर्षो से निवास कर रहे है। पूर्व मे यहा अपीलान्ट्स के दादा व पिता की रिहायश थी और आज मौके पर अपीलान्ट्स आबाद है। अधीनस्थ न्यायालय ने किस कानून के तहत आबादी भूमि को बिना सुने बिना जांच किये, पायतन घोषित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी को पायतन घोषित करने का अधिकार नही है यह अधिकार जिला कलक्टर के पास है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की कोई अनुमति नही ली गई ना ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो स्पष्टतया कानून की अवहेलना है। अतः अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आदेश निरस्त फरमावें तथा आबादी भूमि ही राजस्व रिकॉर्ड मे रखी जावें या अन्य दादरसी मफीद अपीलान्टान को प्रदान की जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1993 पेज 502, RRD 1965 पेज 119, RRD 1989 पेज 45, राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 धारा 92 पेज 129 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश नोहर के निर्णय दिनांक 8–9–77 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–9–77 को निरस्त कर आबादी भूमि ही राजस्व रिकॉर्ड में रखी जाने का निवेदन किया गया है। हस्तगत् मामलें में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांक 8–9–77 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 13.01.2023 को करीब 46 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। यदि अपील मियाद बाहर है तो अपीलान्ट्स को अपना पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र, ठोस आधारो एवं औचित्यपूर्ण कारणो जिन पर स्वभावतः विश्वास किया जा सके, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अपीलान्ट द्वारा करीब 46 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में केवल धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह कहना युक्तियुक्त एवं सन्तोषप्रद कथन नही है कि उन्हे यह जानकारी दिनांक 23.12.2022 को सर्वप्रथम ग्राम के एक पुराने व्यक्ति ने बताया कि खसरा नं. 298 व 435 दोनो खसरो मे पायतान पूर्व में धोषित किया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, ठोस एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप गुणावगुण के बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता नही मानते हुए मियांद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया जाना उचित मानते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश नोहर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–77 यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर